**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1167**

**दिनांक 27 जुलाई, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**मानव संसाधनों का आकलन**

**1167. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अपने विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कार्यबल, जिसकी कार्यकरण और प्रशासन के लिए आवश्यकता है, का भी कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय और संबद्ध संगठनों के तहत विभिन्न पदों पर नए कार्मिकों की नियुक्ति किए जाने से पूर्व अल्प उपयोग में लाए गए वर्तमान मानव संसाधनों के पुन: कौशल प्रदान करने और पुन: तैनाती संबंधी विकल्प को परिपाटी के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) और (ख):** रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीन विभाग नामत: उर्वरक विभाग, रसायन एवं पैट्रोरसायन और औषध विभाग शामिल हैं।

उर्वरक विभाग, रसायन एवं पैट्रोरसायन और औषध विभाग द्वारा कोई नया मूल्यांकन नहीं करवाया गया है।

तथापि, उर्वरक विभाग और औषध विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रभावी कार्यकरण और प्रशासन के लिए अपेक्षित जनशक्ति जिसमें उनको पुन:दक्ष बनाने और पुन:तैनाती का विकल्प सम्मिलित है, का मूल्यांकन रिक्ति स्थिति और उनके संचालनात्मक तथा कारोबार आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्वयं करवाया जाता है।

\*\*\*\*\*